यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** के माह 05/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संदीप चौधरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि प्रकाश पाठक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28-01-2021 से 04-02-2021 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के अवधि 09/2016 से 04/2018 तक के व्यय के लेखा अभिलेखों विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र जयंत, व॰ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.05.2018 से 29.05.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-I, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** का मुख्य कार्यकलाप उत्तराखंड राज्य मे परीक्षाये आयोजित कराना है।

(ब) **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त उत्तराखंड राज्य है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2018-19	-	2891.07	1734.78	-	1156.27
2019-20	-	2764.02	1914.82	-	849.20
2020-21 (08/2020)	-	2731.62	1214.36	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2018-19	शून्य				
2019-20					
2020-21 (upto 12/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अध्यक्ष - सचिव - परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/वित्त नियंत्रक - उपसचिव - अनुसचिव

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> पुस्तकालय भवन के निर्माण पर रु 293.54 लाख का अलाभकारी व्यय।

50 हजार किताबों की क्षमता वाले आधुनिक पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या -704/xxx(2)/2012 दिनांक 10 जनवरी 2013 के द्वारा स्वीकृति धनराशि रु 305.40 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2011-12 मे रु 3.76 लाख, वर्ष 2012-13 मे रु 100.00 लाख एवं तृतीय चरण मे रु 189.78 लाख की राशि अवमुक्त की गई थी। अभिलेखो के अनुसार कार्य वर्ष 2104 मे प्रारम्भ कर दिया गया था। तथा वर्ष 2016 मे पुस्तकालय का ढांचा खड़ा हो गया था। अभिलेखो के अनुसार 04 वर्ष पूर्व बनी इमारत बिना उपयोग के जर्जर अवस्था मे होती जा रही थी । जिससे जहा एक ओर जिस उद्देश्य के लिए इमारत बनाई गई थी, वह भी पूर्ण नहीं हुआ वही रु 293.54 लाख की राशि अवमुक्त एवं व्यय होने के बाद भी निरर्थक रहा। साथ ही जर्जर होने की अवस्था मे मरम्मत पर अलग व्यय आयेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि कार्यदयी संस्था के द्वारा विधयुत विंग कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण भवन हस्तानांतरण नहीं किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि वर्ष 2016 मे पुस्तकालय का ढांचा खड़ा हो गया था। तथा आठ वर्ष पूर्व ही रु 293.54 लाख (96 प्रतिशत) धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात भी विधयुत एवं अन्य आवश्यक कार्य नहीं कराये जा सके। साथ ही यह भी पाया गया की इकाई द्वारा कार्यदयी संस्था से एमओयू नही कराया गया, जिस कारण कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण कार्यदायी संस्था पर कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सका।

अतः पुस्तकालय भवन के निर्माण पर रु 293.54 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर:02- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर तथा बिना आगणन बनाए लघु निर्माण कार्यो का सम्पादन धनराशि रू 22.18 लाख।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति हेतु उल्लिखित बिदु संख्या 46 एवं 47 के अनुसार

46– बिना कोटेशन के निर्माण कार्य अधिप्राप्ति – तत्काल आवश्यकता या छोटे कार्य, यथा–छोटे मरम्मत कार्य, प्रतिस्थापन, रास्ता खोलने हेतु, भू–स्खलन की सफाई आदि, जिसकी लागत रू0 25,000 (रू0 पच्चीस हजार) तक हो, बिना कोटेशन के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से या इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी, निम्नलिखित प्रमाणपत्र लिख कर कार्य करा सकता है:–

"मैं..............................(नाम), व्यक्तिगत रूप से सन्तुष्ट हूँ कि .... कार्य जो ठेकेदार/प्रखण्ड के माध्यम से कराया गया है, अपेक्षित गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप है।"

हस्ताक्षर..............................

अधिकारी का नाम..............................

पद नाम..............................

47– बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश – सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रू0 2,50,000 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) तक लागत के कार्य करा सकता है।

26

इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 52 के अनुसार-

52– माप पुस्तिका– (1) संविदा के सापेक्ष किये गये अधिकतर निर्माण कार्यो का भुगतान माप पुस्तिका में अंकित माप के आधार पर किया जाए। इस प्रकार की माप पुस्तिकाओं को नियत अवधि पर अद्यावधिक किया जाय तथा विहित मानकों के अनुसार माह में कम से कम एक बार भुगतान किया जाय। माप पुस्तिका का रखरखाव सामान्यतः कनिष्ठ अभियन्ता या अन्य प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाय, जिनका यह दायित्व होगा कि विहित समय सीमा के अधीन उसे पूरा करे तथा तदनुसार देयकों (बिलों) को तैयार करे। देयक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय तथा माप पुस्तिका एवं देयकों का परीक्षण सहायक अभियन्ता या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाय, जिसका पुनः परीक्षण लेखा प्राधिकारी द्वारा किया जाय एवं अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान किया जाय। अधिशासी अभियंता के लिए देयक भुगतान स्वीकृत करने से पूर्व कार्य की प्रगति एवं अन्य विवरणों से सन्तुष्ट होना आवश्यक होगा। इस प्रकार के देयकों से यदि विधि अनुसार कोई कर, शुल्क अथवा अग्रिम की कटौती की जानी हो, तो ऐसे देयको से कटौती की जाय। चालू देयकों में दिखाये गये भुगतान संपूर्ण कार्य के अन्तिम भुगतान के सापेक्ष क्रमिक भुगतान (रनिंग पेमेण्ट) माना जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 (दिसम्बर तक) लघु निर्माण मद में कुल रु 38.29/- लाख की धनराशि का व्यय किया गया था। लघु निर्माण कार्य के अभिलेखो की संवीक्षा में पाया गया कि संलग्न कार्यो के सापेक्ष केवल 3 कार्यो (Sl no-6,7,8) का आगणन गठित किया गया तथा अन्य समस्त कार्य बिना आगणन गठित किए संपादित किए गए ।

इसके अतिरिक्त आगे जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि 24 लघु निर्माण कार्यो के सापेक्ष केवल 4 कार्यो(Sl no- 1,3,5,10) हेतु अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कोटेशन प्राप्त कर कार्य संपादित किया गया, उक्त चार कार्यो के अतिरिक्त किसी भी कार्य के लिए अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया एवं कार्य संपादित कराये गए । आगे, लघु निर्माण कार्यों की नमूना जांच (संलग्नक) में पाया गया कि आगणन में दर्शाई गयी कार्य कि मात्रा के सापेक्ष कार्य निष्पादन के समय माप पुस्तिका का रखरख़ाब नहीं किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य का निष्पादन किया गया था अथवा नहीं। बिना माप पुस्तिका अथवा कोई भी प्रामाणिक आधार के कार्य का भौतिक निरीक्षण किए बिना भुगतान किया गया।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य मे समस्त निर्माण कार्य अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा आगणन बना कर संपादित कराये जायेंगे।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो(ब)

प्रस्तर:03- पदोन्नति पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के कारण लगभग रु. 0.86 लाख का अधिक वेतन भुगतान।

वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या- 87_XXVII(7)/2011 दिनांक: 08 मार्च,2011, जोकि राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित ए.सी.पी. की व्यवस्था के संबंध में है। इस आदेश के के पैरा नंबर 04 के अनुसार- वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर कर्मचारी को उसी ग्रेड वेतन जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा, परंतु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैंड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि श्री आशीष कुमार जायसवालकी पदोन्नति अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव पद पर दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को हुई थी। महोदय को अनुभाग अधिकारी के पद पर रहते हुए द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 05.05.2016 को दी गयी, जिससेमहोदय का ग्रेड वेतन 5400 से 6600 (वेतन लेवल 10 से 11) हो गया था, तथा पदोन्नति के पद, अनुसचिव, का ग्रेड वेतन भी 6600 एवं वेतन लेवल भी 11 है।

अत: उक्त आदेशानुसार महोदय को अनुसचिव के पद पर पदोन्नति पर कोई वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जानी थी, क्योंकि महोदय अनुभाग अधिकारी के पद पर ए.सी.पी. प्राप्त होने के उपरान्तग्रेड वेतन 6600 अर्थात लेवल 11 का लाभ ले रहे थे। परंतु अनुसचिव के पद पर पदोन्नति पर महोदय का वेतन लेवल 11(3) से 11(4) कर दिया गया, अर्थात बेसिक वेतन रु. 71800 से बढ़ाकर रु. 74000 कर दिया गया, जोकि उक्त आदेश के विपरीत था। इस कारण से महोदय को लगभग रु. 86166/- का अधिक वेतन लाभ दिया जाना पाया गया।

विवरण निम्नानुसार था-

Sl. No.	Date	Pay Due	DA %	Total DADue	Pay Drawn	Total DADrawn	Months	Total Due	Total Drawn	Excess/Difference
1	09.04.2018 to 06/2018	71800	7	5026	74000	5180	2.74	210503	216953	6450
2	07/2018 to 12/2018	71800	9	6462	74000	6660	6	469572	483960	14388
3	01/2019 to 06/2019	74000	12	8880	76200	9144	6	497280	512064	14784
4	07/2019 to 12/2019	74000	17	12580	76200	12954	6	519480	534924	15444
5	01/2020 to 06/2020	76200	17	12954	78500	13345	6	534924	551070	16146
6	07/2020 to 12/2020	76200	17	12954	78500	13345	6	534924	551070	16146
7	01/2021	78500	17	13345	80900	13753	1	91845	94653	2808
								Total Excess Pay		**86166**

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर उत्तर में कहा गया कि श्री आशीष कुमार जायसवाल, अनुसचिव के वेतन सम्बन्धी पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका का परीक्षण एवं जांच कर आख्या साक्ष्यों सहित यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

अत: पदोन्नति पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के कारण लगभग रु. 0.86 लाख का अधिक वेतनलाभदिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'	STAN
31/2015-16	-	1	-
16/2016-17	-	1	-
06/2018-19	1	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

<table>
<tr><th>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</th><th>प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</th><th>अनुपालन आख्या</th><th>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>31/2015-16</td><td>भाग 2 ब प्रस्तर सं. 1</td><td colspan="3" rowspan="3">लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>16/2016-17</td><td>भाग 2 ब प्रस्तर सं. 1</td></tr>
<tr><td>06/2018-19</td><td>भाग 2 अ प्रस्तर सं. 1 भाग 2 ब प्रस्तर सं. 1</td></tr>
</table>

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री आनंद स्वरूप	सचिव	15.11.17 से 28.06.18
2	श्री पी॰सी॰ डडरियाल	सचिव	29.06.18 से 01.07.18
3	श्री बी॰के॰ मिक्षा	सचिव	02.07.18 से 14.08.18
4	श्री आनंद स्वरूप	सचिव	14.08.18 से 31.12.18
5	श्री पी॰सी॰ डडरियाल	सचिव	31.12.18 से 07.01.19
6	श्री राजेन्द्र कुमार	सचिव	07.01.19 से 20.09.20
7	श्री कर्मेन्द्र सिंह	सचिव	20.09.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-I